प्रेस नोट दिनांक 05.09.2024, जनपद प्रतापगढ़

प्रेस नोट दिनांक 05.09.2024

थाना कोतवाली देहात, जनपद प्रतापगढ़

एसपी के निर्देशन में प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा लगातार अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी

एसपी द्वारा चेकिंग के दिये गये है सख्त निर्देश

अपहरणकर्ताओं पर प्रतापगढ़ पुलिस का प्रहार

अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी एवं क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में थाना कोतवाली देहात पुलिस 02 अपहरणकर्ताओं को मात्र 02 घंटे के अन्दर गिरफ्तार करते हुए अपहृत को सकुशल बरामद किया गया

थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा घटना में प्रयुक्त कार सहित अपहृत सकुशल बरामद।

थाना कोतवाली देहात क्षेत्रान्तर्गत मोहनगंज तिराहा से अपहृत को बरामद कर स्विफ्ट कार व 02 अदद मोबाइल फोन के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार।

घटना का संक्षिप्त का विवरण-

दिनांक 04.09.2024 को वादी राज नारायण यादव (अपहृत का पिता) निवासी कांछा बोध का पुरवा थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़ द्वारा अपने पुत्र सहबाज उम्र करीब 18 वर्ष एक स्विफ्ट कार नं0 यूपी 72 AY 9081 पर सवार 04 अज्ञात लोगों द्वारा अपहरण कर ले जाने के संबंध में सूचना दी गयी थी। वादी की तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली देहात में मु0अ0सं0 294/2024 धारा 140(1) बीएनएस बनाम स्विफ्ट कार नं0 यूपी 72 AY 9081 पर सवार 04 अज्ञात लोगों का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

अपहरण जैसी घटना का गंभीरता से संज्ञान लेकर पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा तत्काल अपहृत को सकुशल बरामद किये जाने संलिप्त अभियुक्तगण की गिरफ्तारी किये जाने हेतु संबंधित को निर्देशित किया गया। आदेश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री दुर्गेश कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर श्री शिवनारायण वैस के पर्यवे्क्षण में टीमों का गठन कर, गठित टीम द्वारा इलेक्ट्रानिक साक्ष्यों/ मैनुअल साक्ष्यों के आधार पर थाना मान्धाता, जेठवारा व थाना कोतवाली देहात में नाकाबन्दी कर चेकिंग की जाने लगी।

थाना कोतवाली देहात क्षेत्रांतर्गत मोहनगंज तिराहा के पास चेकिंग के दौरान स्विफ्ट कार नं0 यूपी 72 AY 9081 को रोका गया तो कार चालक कार को मोड़कर भागने लगा पुलिस द्वारा कार को पकड़कर उसमें बैठे व्यक्तियों से नाम पता पूछा गया तो उनमें से पहले व्यक्ति ने अपना नाम 1- राज यादव पुत्र संजय कुमार यादव निवासी ग्राम धारुपुर पोस्ट राजगढ़ थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़ तथा दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम शिवम तिवारी पुत्र पिंकल तिवारी निवासी मड़वा पोस्ट पंवारा जनपद जौनपुर बताया। गाड़ी की पीछे वाली सीट पर से अपहृत को बरामद किया गया जिसके हाथ बंधे हुए थे।

पुलिस पूछताछ- पुलिस टीम द्वारा युवक के अपहरण के संबंध में पूछताछ में बताया गया हम सभी साथ मिलकर फिरौती के उद्देश्य से सहबाज का अपहरण किया था।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1- राज यादव पुत्र संजय कुमार यादव निवासी ग्राम धारुपुर पोस्ट राजगढ़ थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़।

2- शिवम तिवारी पुत्र पिंकल तिवारी निवासी मड़वा पोस्ट पंवारा जनपद जौनपुर।

बरामदगी-

01 अदद स्विफ्ट डिजायर कार नं0 यूपी 72 AY 9081

02 अदद मोबाइल फोन (01 अदद मोबाइल फोन वीवो वी29 प्रो व 01 अदद मोबाइल फोन रेडमी 12C)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

उ0नि0 राहुल कुमार व उ0नि0 राकेश कुमार सिंह मय हमराह हे0कां0 पुष्पराज सिंह, कां0 किशन यादव, कां0 गौरव कुमार, कां0 कुशाल सिंह थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़

बयानः- प्रतापगढ़ अपराधी एवं अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी है अभियुक्तों की गिरफ्तारी व संदिग्धों की सख्त चेकिंग हेतु सभी को निर्देशित किया गया है।

डॉ0 अनिल कुमार
पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़।

प्रेस नोट दिनांक 05.09.2024
थाना हथिगवां, जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार का अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ कड़ा एक्शन,
प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी
आरोपी द्वारा अपनी पत्नी को जहर देकर हत्या करने से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार
अभियुक्त की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त कीटनाशक (जहर) की 02 शीशी बरामद किया गया।
थाना हथिगवां पुलिस टीम द्वारा फूलमती मंदिर नहर पुलिया से अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया

प्रतापगढ़-
वादी श्री नीरज मिश्रा पुत्र कामता प्रसाद मिश्रा निवासी ग्राम अहिबरनपुर थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़ द्वारा दिनाँक 02.09.2024 को थाना हथिगवां पर तहरीरी सूचना दिया कि बहन सन्नू देवी उम्र 28 वर्ष की शादी प्रवीण कुमार पाण्डेय उर्फ रामू पुत्र स्व0 नन्हेलाल पाण्डेय निवासी अख्तियारी कोटिला थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़ के साथ 18.02.2017 को हुई थी। दिनाँक 01.09.2024 को प्रवीण पाण्डेय द्वारा रात्रि 10.00 बजे वादी को सूचना दी गयी कि तुम्हारी बहन सन्नू बीमार है वादी द्वारा आकर देखा गया तो सन्नू गम्भीर रूप से बीमार थी। बहन ने बताया कि प्रवीण ने मुझे जहरीली दवा पिला दी है। सन्नू देवी को वात्सल्य हास्पिटल सिविल लाइन प्रयागराज मे इलाज हेतु ले जाया गया जहाँ पर डाक्टर द्वारा सन्नू देवी को मृत घोषित कर दिया गया। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 189/24 धारा 103(1), 123 बी0एन0एस0 पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डा ॅ0 अनिल कुमार द्वारा अभियुक्त वांछित अपराधी की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत व अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री संजय राय एवं क्षेत्राधिकारी कुण्डा श्री अजीत सिंह के नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक श्री नन्दलाल सिंह मय हमराह उ0नि0 राधेश्याम सिंह, कां0 जावेद अहमद, कां0 अनिल यादव प्रथम, म0कां0 पूजा द्वारा अभियुक्त प्रवीण कुमार उर्फ रामू पाण्डेय पुत्र स्व0 नन्हेंलाल निवासी ग्राम अख्तियारी कोटिला थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़ को दिनांक

04.09.2024 को थानाक्षेत्र हथिगवां फूलमती मंदिर के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त की निशानदेही पर नवीपुर पुल कौशाम्बी के पास से घटना में प्रयुक्त 02 शीशी में कीटनाशक दवायें बरामद की गईं।

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा पूछताछ करने पर बताया गया कि 02 शीशी कीटनाशक दवायें को आयरन की दवा में मिलाकर अपनी पत्नी की पिलाकर उसकी हत्या कर दी थी। पत्नी को विश्वास दिलाने के लिए थोड़ी दवा अपनी मा ॅ को भी पिला दी थी जिससे मां बच गयी।

अभियुक्त प्रवीण कुमार को मु0अ0सं0 189/2024 धारा 103 (1), 123 बीएनएस में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष अग्रिम कार्यवाही हेतु पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
प्रवीण कुमार उर्फ रामू पाण्डेय पुत्र स्व0 नन्हेंलाल निवासी ग्राम अख्तियारी कोटिला थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़।

गिरफ्तार करने वाली टीमः-
प्रभारी निरीक्षक श्री नन्दलाल सिंह मय हमराह उ0नि0 राधेश्याम सिंह, कां0 जावेद अहमद, कां0 अनिल यादव प्रथम, म0कां0 पूजा थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़।

प्रेस-नोट दिनांक- 05.09.2024
थाना मानिकपुर, जनपद- प्रतापगढ़

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा लगातार अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी
गैर इरादतन हत्या के अभियोग में 01 अभियुक्त गिरफ्तार
थाना मानिकपुर पुलिस टीम नें थाना क्षेत्रान्तर्गत करेंटी गंगा घाट पुल के पास से 01अभियुक्त गिरफ्तार

प्रतापगढ़

दिनांक 02.09.2024 को थाना मानिकपुर क्षेत्रान्तर्गत करेंटी गंगा घाट पुल के पास आरोपीगण द्वारा लापरवाही पूर्वक गाडी चलाकर 01 व्यक्ति को टक्कर मार देना व मृत्यु हो जाने के आरोप में प्राप्त तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 184/24 धारा 125,110 बी0एन0एस0 बनाम 01 नामजद अभियुक्त मय वाहन के विरुद्ध पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ डॉ अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चमी) संजय राय व क्षेत्राधिकारी कुण्डा अजीत कुमार सिंह के पर्यवेक्षण व थाना प्रभारी मानिकपुर दीप नारायण के नेतृत्व में उ0नि0 शिशिर पटेल मय हमराह का0 रामचरन प्रजापति, का0 रामलखन द्वारा देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त, संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान मु0अ0सं0 184/24 धारा 125,110 बी0एन0एस0 में वांछित अभियुक्त 1- धीरज कुमार पुत्र गुल्लू राम निवासी ग्राम हटवा रामपुर मडूकी थाना मंझनपुर जनपद कौशाम्बी को थाना मानिकपुर क्षेत्रान्तर्गत करेंटी गंगा घाट पुल के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त/अभियुक्ता का विवरण -
1- धीरज कुमार पुत्र गुल्लू राम निवासी ग्राम हटवा रामपुर मडूकी थाना मंझनपुर जनपद कौशाम्बी।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम -
उ0नि0 शिशिर पटेल मय हमराह का0 रामचरन प्रजापति, का0 रामलखन थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़।

प्रेस नोट दिनांक 05.09.2024
थाना दिलीपपुर, जनपद प्रतापगढ़

थाना दिलीपपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्ता गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना दिलीपपुर के म0उ0नि0 सारिका मय हमराह म0कां0 वंदना कुमारी,

म0पीआरडी ज्योति कुमारी द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त के दौरान वाद संख्या-225/23 धारा 138 एनआईए एक्ट थाना दिलीपपुर से संबंधित वारण्टी अभियुक्ता मंजू तिवारी पत्नी कालिका प्रसाद तिवारी नि0ग्राम सराय नानकार थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ को उसके घर से गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्ता का विवरण-
मंजू तिवारी पत्नी कालिका प्रसाद तिवारी नि0ग्राम सराय नानकार थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ।

पुलिस टीम-
म0उ0नि0 सारिका मय हमराह म0कां0 वंदना कुमारी, म0 पीआरडी ज्योति कुमारी थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़।

प्रेस नोट दिनांक 05.09.2024
थाना जेठवारा, जनपद प्रतापगढ़

एसपी के निर्देशन में प्रतापगढ़ पुलिस की ताबड़तोड़ कार्यवाही जारी।
01 नकली तमंचा, 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर व 01 अदद लोहे का चापड़ के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार।
थाना जेठवारा क्षेत्रान्तर्गत देवरिया बरा पुलिस बूथ के पास से 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधियों एवं संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग कर प्रभावी कार्यवाही करते हुए अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु दिये गये सख्त निर्देश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) श्री संजय राय व क्षेत्राधिकारी सदर श्री अमरनाथ गुप्ता के पर्यवेक्षण व थाना प्रभारी जेठवारा धमेन्द्र सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 वारिज मय हमराह उ0नि0 प्रशि0 उ0नि0 अमित वर्मा, हे0का0 शोभनाथ राम, का0 कुलदीप यादव, चालक हे0का0 अमित यादव थाना जेठवारा द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों/ वांछित वारण्टी अभियुक्त की तलाश हेतु चेकिंग के दौरान, देवरिया बरा पुलिस बूथ के पास से 01 अभियुक्त

दिनेश कुमार शर्मा उर्फ उस्ताद पुत्र शिवबहादुर शर्मा उर्फ कल्लू निवासी ग्राम चन्दईपुर उर्फ चनईया थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़ को 01 नकली तमंचा, 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर व 01 अदद लोहे का चापड़ के साथ गिरफ्तार किया गया।

01 नकली तमंचा, 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर व 01 अदद लोहे का चापड़ की बरामदगी के आधार पर थाना जेठवारा में मु0अ0सं0 227/24 धारा 3/4/6/25 आर्म्स एक्ट बनाम दिनेश कुमार शर्मा उर्फ उस्ताद पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण -

1- दिनेश कुमार शर्मा उर्फ उस्ताद पुत्र शिवबहादुर शर्मा उर्फ कल्लू निवासी ग्राम चन्दईपुर उर्फ चनईया थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी:-

01 नकली तमंचा, 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर व 01 अदद लोहे का चापड़ बरामद।

पंजीकृत अभियोग:-

मु0अ0सं0 227/24 धारा 3/4/6/25 आर्म्स एक्ट बनाम दिनेश कुमार शर्मा उर्फ उस्ताद उपरोक्त।

पुलिस टीम -

उ0नि0 वारिज मय हमराह उ0नि0 प्रशि0 उ0नि0 अमित वर्मा, हे0का0 शोभनाथ राम, का0 कुलदीप यादव, चालक हे0का0 अमित यादव थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़।